निगरानी / टी.ए. / 6630 / 2013 / बाड़मेर
जगमालराम बनाम धनाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित :
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 13.10.2023

निर्णय

यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 28 / 2013 में पारित निर्णय दिनांक 19–11–2013 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि अप्रार्थी सं.1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी ने निर्णय दिनांक 29–4–2013 द्वारा गैरकानूनी रूप से स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं.3 से 9 ने एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 19–11–2013 द्वारा अस्वीकार की गई। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विपक्षी ने दिनांक 21–5–2012 को प्रार्थना पत्र धारा 251–ए के तहत प्रस्तुत किया, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 20–7–2012 की नियत की गई। आदेशिका दिनांक 26–12–2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना किसी आदेश के तहसीलदार गुडामालानी से रिपोर्ट प्राप्त होने का अंकन किया हुआ है। जबकि 21–5–2012 को तहसीलदार द्वारा तथाकथित रिपोर्ट बिना मौके पर गये पूर्व में ही बना ली गई है। उनका यह भी तर्क है कि ग्राम पंचायत अधिनियम की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	धारा 109 के अनुसार ग्राम पंचायत को दो माह का नोटिस दिये बिना आवेदन / वाद / रिट प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। विपक्षी ने ग्राम पंचायत को दो माह का नोटिस दिये बगैर आवेदन प्रस्तुत किया है जो इस बिंदु पर ही निरस्त योग्य था। इसके बावजूद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त बिंदुओं पर गौर न कर प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–11–2013 एवं दिनांक 29–4–2013 निरस्त किये जावें। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2012 (2) RRT 1271, 2012 (1) RRT 427 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि राजकीय गोचर भूमि से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है ऐसे में धारा 109 के तहत नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 3 से 9 द्वारा रास्ते को घुमाव देने एवं सुलभ सीधे रास्ते में बाधा डालने हेतु टांके, बाडे आदि बाद में बनाना आरम्भ किया था जो तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। मौका निरीक्षण के समय प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 से 9 को बुलाया गया किन्तु वे रास्ते हेतु सहमत नहीं हुए एवं उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं.1 को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने एवं प्रस्तावित रास्ता कदीमी रूप से प्रयुक्त होने एवं सडक तक आवागमन हेतु इकलौता विकल्प होने के कारण विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29–4–2023 द्वारा अप्रार्थी सं.1 के प्रार्थना पत्र को सही रूप से स्वीकार किया गया एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सहमत होते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया है, जो न्यायोचित है। अंत में उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधि सम्मत बताते हुए	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विपक्षी ने दिनांक 21–5–2012 को प्रार्थना पत्र धारा 251–ए के तहत प्रस्तुत किया, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 20–7–2012 की नियत की गई। आदेशिका दिनांक 26–12–2012 में बिना किसी आदेश के तहसीलदार गुडामालानी से रिपोर्ट प्राप्त होने का अंकन किया हुआ है। जबकि 21–5–2012 को तहसीलदार द्वारा तथाकथित रिपोर्ट बिना मौके पर गये पूर्व में ही बना ली गई है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19–11–2013 में यह अंकित किया है कि– 'विचारण न्यायालय ने दिनांक 21–5–2012 को प्रकरण दर्ज कर दिनांक 21–5–2012 को ही विप्रार्थी को सम्मन जारी किये थे एवं आगामी पेशी 20–7–2012 नियत की गई। मौका निरीक्षण हेतु दिनांक 16–7–2012 को प्रकरण तहसीलदार को प्रेषित किया गया। तहसीलदार ने बाद जांच व मौके का भौतिक सत्यापन कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जो दिनांक 26–12–2012 को मय मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ। इस प्रकार मौका रिपोर्ट हेतु विचारण न्यायालय ने दिनांक 16–7–2012 को तहसीलदार को आदेश दिये थे तथा उक्त आदेश के पश्चात ही तहसीलदार ने मौका निरीक्षण करवा कर प्रकरण पुनः प्रेषित किया था। मौका निरीक्षण दिनांक 20–9–2012 को किया गया एवं विचारण न्यायालय द्वारा जारी सम्मन दिनांक 15–7–2012 को विप्रार्थी को तामील हुए थे एवं प्रथम आदेशिका दिनांक 26–12–2012 को जब	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण तहसीलदार से अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त हुआ था विप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे। इस प्रकार मौके निरीक्षण संबंधी जानकारी अपीलान्ट को थी जिन्हे जांच के समय बुलाया भी गया था एवं वह रास्ते हेतु सहमत नहीं हुए तथा रास्ते में रूकावट एवं घुमाव हेतु बाड़, बाड़े आदि बनाने में प्रयासरत थे जो मौका रिपोर्ट में स्पष्ट होता है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि अपीलांट जानबूझकर रास्ते की प्रक्रिया को लम्बा करना चाहते हैं। जहां राजकीय गोचर भूमि का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में ख0 नं. 278 से गोचर भूमि ख. नं. 307 तक आवागमन हेतु ख. नं. 302 व 302 / 2 में से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि से रास्ता निकालने की स्वीकृति दी है। राजकीय भूमि पर कोई आदेश पारित नहीं किया है एवं सरपंच औपचारिक पक्षकार होने से धारा 109 का नोटिस नहीं दिया है एवं राजकीय भूमि से आवागमन करने पर कोई प्रतिबन्ध भी नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट ने ना ही राजकीय गोचर भूमि से रास्ते हेतु कोई अनुतोष चाहा है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने राजकीय भूमि पर रास्ते हेतु कोई आदेश पारित किया है।' इससे यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण हेतु दिनांक 16–7–2012 को प्रकरण तहसीलदार को प्रेषित करने पर तहसीलदार ने बाद जांच व मौके का भौतिक सत्यापन कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जो दिनांक 26–12–2012 को मय मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ। इस प्रकार मौका रिपोर्ट हेतु विचारण न्यायालय ने दिनांक 16–7–2012 को तहसीलदार को आदेश दिये थे तथा उक्त आदेश के पश्चात ही तहसीलदार ने मौका निरीक्षण करवा कर प्रकरण पुनः प्रेषित किया था। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में यह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अंकित किया गया है कि विप्रार्थी ग्राम आबादी के पास खसरा नंबर 302/2 में खसरा नंबर 306 गै0मु0आबादी के सहारे प्रस्तावित मार्ग स्थल पर बाड आदि कर रास्ता रूकावट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शायी गई खसरा नंबर 302 व 302/2 की भूमि आवागमन हेतु रास्ते के लिए सर्वथा उपयुक्त होने एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होने से अप्रार्थी सं.1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर खसरा नंबर 302 व 302/2 में से दर्शित भू–भाग का गै0मु0रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं लट्ठा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, जो न्यायोचित है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश सहमति दर्शाते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों से पूर्णतया सहमत हैं एवं उनमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। हमारे विनम्र मत में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार यह निगरानी खारिज की जाती है एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–11–2013 एवं 29–4–2013 यथावत रखे जाते हैं। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	